

¹[नियम 138क : किसी वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा साथ रखे जाने वाले दस्तावेज और युक्तियां]

- (1) किसी वाहन का प्रभारी व्यक्ति से—
(क) यथास्थिति, बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान अपने साथ रखेगा;
(ख) भौतिक रूप में ई-वे बिल की प्रति या ई-वे बिल सं. इलेक्ट्रॉनिक रूप में या आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाने वाली रीति में वाहन में सन्निहित रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान रीति के माध्यम से पहचान युक्ति से में प्रतिचित्रण की गई ई-वे बिल सं. रखेगा :
परन्तु इस उपनियम की खंड ख में उद्धृत कोई बात रेल, वायुयान और जलयान के द्वारा मालों की संचलन की दशा में लागू नहीं होगी।

²[परन्तु यह और कि आयातित माल की दशा में, प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे माल के आयातकर्ता द्वारा फाइल किए गए प्रवेश पत्र की प्रति का भी वहन करेगा और प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रवेश पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित करेगा।]

- ³(2)** नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, बीजक निर्देश संख्या (आई.आर.एन.) सन्निहित करने वाले त्वरित प्रत्युत्तर कोड को ऐसे कर बीजक की भौतिक प्रति के बदले उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।]
- (3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन बीजक अपलोड करता है, वहां **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग 'क'** में सूचना **प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1** में दी गई सूचना के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा संकलित की जाएगी।

¹ अधिसूचना क्रमांक 12/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा नियम 138क प्रतिस्थापित।
अधिसूचना क्रमांक 15/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा सिवाय नियम 138 (7) के सभी नियम दिनांक 01.04.2018 से प्रभावशील किये गये हैं।

पहले ये नियम निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये

1. अधिसूचना क्रमांक 27/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 30.08.2017।
2. अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 23.01.2018।

² अधिसूचना क्रमांक 39/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.09.2018)।

³ अधिसूचना क्रमांक 72/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 30.09.2020 द्वारा उपनियम (2) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.09.2020)। शुद्धिपत्र सां.का.नि. 611(अ), दिनांक 01.10.2020 द्वारा सुधार किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था—

"(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1** में उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजक को उक्त पोर्टल पर अपलोड करके सामान्य पोर्टल से बीजक निर्देश संख्या अभिप्राप्त कर सकेगा और उसे कर बीजक के बदले में उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत कर सकेगा तथा ऐसी संख्या अपलोड करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।"

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (4) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा परिवाहकों के वर्ग से विशिष्ट रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति की अपेक्षा कर सकेगा और प्रवहन पर युक्तियुक्त जुड़वा सकेगा तथा माल के संचलन से पूर्व परिवहन पर रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति ई-वे बिल का प्रतिचित्रण कर सकेगा।
- (5) उपनियम (1) के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा की जाती है, वहां आयुक्त, अधिसूचना द्वारा प्रवहन भारसाधक से ई-वे बिल के बजाय, निम्नलिखित दस्तावेजों को वहन करने की अपेक्षा कर सकेगा—
- (क) कर बीजक या प्रदाय का बिल या बिल ऑफ एंट्री; या
- (ख) जहां माल प्रदाय के माध्यम से भिन्न कारणों के लिए परिवहन किया जाता है, वहां परिदान चालान।]
-